

सम्पादकीय

आजादी से लोकतंत्र

जीूरा राष्ट्रपत्र के लिये आजादी पर लगाए हुए इस तथ्य को एक बार फिर दोहराकर देश की शीर्ष अदालत ने सत्ताधीशों को आईना दिखाने का ही प्रयास किया है। शीर्ष अदालत ने मलयालम चौनल मीडिया वन पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए सरकार को यह नसीहत दी है। दरअसल, केंद्रीय सूचना व प्रसारण और गृह मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बताते हुए बीती 31 जनवरी को इस चौनल पर रोक लगायी थी। शीर्ष अदालत की पीठ ने यह भी कहा कि चौनल के शेयर्स आरकों का जमात-ए-इस्लामी हिंद से जुड़ाव का दावा चौनल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने का वैध आधार भी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वार्ड चंद्रचूड और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने बुधवार को कहा कि सरकार मीडिया की आजादी पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ऐसा करने से लोकतंत्र में जनता की अभिव्यक्ति की आजादी बाहिर होती है। कोर्ट ने माना कि सूचना माध्यमों की आजादी से ही मजबूत लोकतंत्र संभव है। शीर्ष अदालत ने इस सर्वविदित तथ्य को भी दोहराया कि मीडिया का दायित्व है कि वह सच को सत्ता के सामने लाये। साथ ही जनता के सामने वास्तविक तथ्य पेश करे ताकि जनता में तार्किक सोच से बेहतर विकल्प चुनने की सोच विकसित हो सके। सही मायनों में मीडिया की आजादी पर प्रतिबंध एक तरह से जनता की अभिव्यक्ति पर ही प्रतिबंध है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक विचारधारा से सामाजिक व आर्थिक मुद्दों का निर्धारण लोकतंत्र के लिये चुनौती पेश करने वाला है। वर्धी सरकारों को चेताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील देकर किसी भी तरह की आजादी पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। बिना तथ्यों के ऐसा करना लोकतंत्र के हित में नहीं है।

ताप हा पह ना के राष्ट्रायुक्तुदा के नाम पर गांधीजी दुर्लभाकर मुरारां को बाधित नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट द्वारा सरकार की ओर से लगाये गये प्रतिबंधों को जारी रखने वाले आदेश को भी खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत का मानना था कि स्वस्थ लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी अपरिहार्य है। निस्संदेह, हाल के दिनों में सत्ताधीशों को रास न आने वाले मीडिया संस्थानों पर भूकृष्टि ठेढ़ी करने के तमाम वाकये सामने आये हैं। मीडिया के प्रति सहिष्णुता का जो भाव आजादी के बाद की सरकारों में नजर आता था, वह अब नजर नहीं आता। कहीं न कहीं सरकारों की कोशिश रही है कि जनचेतना को प्रभावित करने वाले मुख्य आलोचक संस्थानों पर येन-केन-प्रकारेण दबाव बनाया जाये ताकि वे सत्ताधीशों की इच्छा के अनुसार खबरों के प्रसारण करने को बाध्य हों। इसमें दो राय नहीं कि कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा अपने आर्थिक हितों तथा राजनीतिक दल विशेष की विचारधारा से प्रभावित नीतियों के चलते पत्रकारिता की लक्षण रेखा के उल्लंघन के मामले भी प्रकाश में आये हैं। लेकिन इसके बावजूद मीडिया का बड़ा वर्ग लोगों तक तथ्यों पर आधारित सूचना पहुंचाने के प्रयासों में निरंतर लगा रहा है। कई राज्यों में राजनीतिक दल व धर्म विशेष की विचारधारा वाले प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दखल रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र के व्यापक दायरे में मीडिया की आजादी समय की जरूरत है। सजग व स्वतंत्र मीडिया ही समाज में स्वस्थ व प्रगतिशील विचारधारा के पोषण में सहायक होता है। मीडिया को भी तटस्थता व निष्पक्षता के साथ सूचना संप्रेषण का दायित्व निभाना चाहिए। जब भी कोई मीडिया संस्थान मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करता है और राजनीतिक दल या विचारधारा विशेष से प्रभावित होता है तो समाज में स्वतंत्र ही उनकी स्वीकार्यता को आंच आती है। ऐसी ही स्थिति में सरकारों को हस्तक्षेप के लिये मौका मिलता है। निस्संदेह, पत्रकारिता एक ऋषिकर्म की तरह होती है। बिना किसी आर्थिक प्रलोभन और नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए यदि प्रेस जिम्मेदारी से भूमिका निभाती है तो जनता का सहयोग भी मिलता है। सही मायनों में प्रेस की आजादी जनता की अभिव्यक्ति की ही आजादी है। मीडिया को भी भारतीय संविधान के तहत उतनी ही आजादी मिली है, जितनी कि एक आम आदमी को हासिल है।

प्रेस सासद आर पूर्व कद्राय मत्रा भनाप तिवारा वस न
प्रक्ता हैं लेकिन संचार विभाग की ओर से उनको प्रेस ब्रीफिंग
है। — दे — दे — दे — दे — दे — दे

बुलाया जाता है। जब से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले जो—23 नेताओं की चिट्ठी पर दस्तखत किया था तब से वे हाशिए मैं हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनका पुनर्वास होने वाला है। बतौर प्रवक्ता मनीष तिवारी का पुराना स्टैट्स बहाल हो सकता है। यानी नियमित प्रेस ब्रीफिंग से लेकर मीडिया को बाइट देने या विशेष प्रेस कांफ्रेंस का जिम्मा उनको मिल सकता है। पार्टी अधिकारी यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे उनका अधिकतम इस्तेमाल करने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों तिरुवनंतपुरम में विशेष प्रेस कांफ्रेंस के लिए उनको भेजा गया था। संसद की गतिविधियों में भी उनकी भूमिका बढ़ी है। उन्होंने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने और लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद काम रोको प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। केंद्र सरकार ने जब वन संरक्षण संशोधन विधेयक संसद की स्थायी समिति को नहीं भेजा तो तिवारी ने इसका विरोध किया। ध्यन रहे इस मंत्रालय की कमेटी के प्रमुख जयराम रमेश हैं, जो कांग्रेस के संचार विभाग के भी प्रमुख हैं। रमेश ने भी वन संरक्षण विधेयक संसद की स्थायी समिति को नहीं भेजने के विरोध में चिट्ठी लिखी है।



शिक्षा के बाजारों में लूट

आर काशल प्रदान करता है। यह सीखने की घनिरंतर, धीमी और सुरक्षित प्रक्रिया है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और हमारे जीवन के साथ ही खत्म होती है। हमें अपने अन्दर पूरे जीवन भर अपने अध्यापकों, अभिभावकों, परिवार के सदस्यों और हमारे जीवन से संबंधित अन्य व्यक्तियों से कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालनी चाहिए। हम एक अच्छा व्यक्ति बनने, घर, समाज, समुदाय और दोस्तों में रहने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। स्कूल जाना और घणिका ग्रहण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसका असर बच्चों के स्वभाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। अभिभावक बच्चों को शुरू से ही नोट उगलने वाली एटीएम मशीन के रूप में देखना चाहते हैं। कोई बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन करना नहीं चाहता। प्रवेश शुल्क, किताबें और यूनीफार्म के नाम पर निजी संस्थान मोटी कमाई कर रहे हैं। निजी संस्थान प्रवेश फार्म में अभिभावक के पेशे को देखकर एडमिशन तय करते हैं। शिक्षा से जुड़े बहुत सारे सवाल व्यवस्था के सामने यक्ष प्रश्न बने हुए हैं। संविधान में निर्दिष्ट समानता का

आधिकार बमना लगता ह। निजी स्कूलों में एयरकंडीशन, सीसीटीवी कैमरे, लग्जरी बसें हर अभिभावक का सपना है। साधारण तथा मध्यवर्गीय परिवार बड़े स्कूलों को दूर से ही टकटकी लगाए देखते हैं। महानगरों में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट झेल रहे हजारों परिवारों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से हटा लिया। दरअसल यह एक धारणा है कि महंगे स्कूलों में बेहतर शिक्षा दी जाती है लेकिन मध्यमवर्गीय परिवार भी महंगे स्कूलों में अपने बच्चे भेजने में असमर्थ हैं। महंगे स्कूल बच्चों और अभिभावकों पर परफॉर्मर्स को लेकर दबाव बनाए रखते हैं। इस दबाव ने बच्चों से उनकी अबोधता और मौलिकता छीन ली है। यह समाजशास्त्रीय अपराध है, जिसके लिए अभिभावक भी दोषी हैं। आज अभिभावकों की इच्छाओं का दोहन बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने दिखाकर किया जा रहा है। मां-बाप अपने बच्चों को 'असाधारण' देखना चाहते हैं। असाधारणता एक साइक्लोजीकल समस्या का रूप ले चुकी है जो बच्चों और अभिभावकों में अवसाद परोस रही है। बच्चों को समझने की बजाय सारा जोर बच्चों का समझान पर ह। बच्चों के नाम पर बाजार हमारे जज्बातों का आर्थिक दोहन करने में लगा है। व्यवस्था इससे पैदा हो रही समस्याओं और मनोविकारों से मुंह चुरा रही है। सवाल है हम हासिल करना चाह रहे हैं, वह हासिल होता दिख नहीं रहा। शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रत्येक बच्चे को दिलें, इसके लिए शिक्षा सहज और सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण तो हो ही साथ ही संस्कार युक्त भी होनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य तभी पूरे होंगे जब अमीर और गरीब के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि निजी स्कूल वे लोग चला रहे हैं जिनका शिक्षा से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं। उन्होंने व्यापार की तरह लाखों-करोड़ों का निवेश कर रखा है ताकि मोटी कमाई हो सके। शिक्षा के बाजार में लूट मची हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नई शिक्षा नीति का कोई लाभ नहीं घिलने वाला। शिक्षा व्यवसाय नहीं एक पवित्र मिशन है, इसलिए इसे मिशन बनाने के लिए सरकारों और विद्वानों को मिलकर कोई ठोस समाधान निकालना चाहिए। अगर हर बच्चे को सहज और सस्ती शिक्षा मिले तो ही वह उच्च शिक्षा में मुकाम हासिल कर पाएगा।—आदित्य नारायण

संसद भवन के कर्त्तव्यों को समिति नाम से हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं और तमाम तरह के मंथन के बाद इन्हें तो समिति नाम है। सरकार से यही मांग कर रहा है कि इस मसले पर एक संयुक्त संसदीय सत्राफ़ दल ने संसद नहीं चलने दिया। मोदी ने यहाँ से उन्हें दूर किया।

था म तिरंगा लिए जिस तरह चल ना रहे थे, उस दृश्य को देखकर केलमों में दर्शाए गए वे प्रसंग याद आ गए, जिनमें गुलामी से मुक्ति आने के लिए छतपटाते देश के लोग इन्होंने में परचम और होठों पर आजादी के तराने लिए बेखोफ निकल पड़ते हुए। पर्दे पर आजादी के संघर्ष को देखना अलग बात है, यह हमें भारत की अंग्रेजी राज की याद दिलाता है और ये अहसास गहरा करता है कि कितने मुश्किलों से आजादी मिली है। इसके लिए कितने लोगों ने शुरुआतीयां दी हैं।


लेकिन जिस समय सरकार आजादी के 75 साल को अमरत महोत्सव घोषित कर देकर भव्य आयोजनों में लगी रुई है, उस वक्त विपक्षी सांसदों का तिरंगा लेकर निकलना विचारणीय और चिंतनीय मसला है कि लोकतंत्र को किस हाल में पहुंचा दिया गया है। आज विपक्ष के सांसदों ने संसद में विजय चौक तक जो तिरंगा मार्च निकाला, उसमें यही नारे लगाए कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो। लोकतंत्र हाड़—मांस का कोई जीव नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए लोकतंत्र धड़कनों के समान है। जब तक लोकतंत्र धड़कता रहेगा, देश जीवित रहेगा। और इस धड़कन को प्राणवायु संसद से मिलती है। इसी संसद में देश भर के निर्वाचित वित्तनिधि साथ में बैठते हैं, बहसें करते हैं, एक—दूसरे पर आरोप लगाते

का का पारत किया जाता ह, देशहित और जनहित का संस्थान है। लेकिन इस बार सत्र सरकार के अडियल रुख रण हंगामे की भेंट चढ़ गया। एस लेजिस्लेटिव रिसर्च नामक टैंक के अनुसार, इस बार के सत्र में लोकसभा में 133.6 गम होना था, लेकिन केवल 31 से थोड़ा ही अधिक कामकाज जबकि राज्यसभा में 130 घंटे धर्धारित अवधि के मुकाबले 31 थोड़ा ही अधिक कामकाज लोकसभा में 34.28 प्रतिशत राज्यसभा में 24 प्रतिशत ही हुआ। बाकी पूरा वक्त शाराबे, विरोध, नारेबाजी में गुजर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ट सत्र के दौरान हुए कामकाजों व्यूरा प्रस्तुत किया उसके सदन में आठ विधेयक पेश गए और पांच विधेयक पारित। संसद में भाजपा का बहुमत विधेयकों को पारित करने में कोई अड़चन नहीं आती, लेकिन ये है कि इन विधेयकों पर दो देर चर्चा की गई और विपक्ष समें कितनी भागीदारी रही। 5 विपक्ष बजट सत्र में लगातार मांग पर अड़ा रहा, उस पर सरकार अब भी मौन ही है। बर्ग रिसर्च फर्म की अडानी पर वित्तीय अनियमितताओं के बाली रिपोर्ट के बाद से विपक्ष

मैती बनाकर जाच कराइ जाए। केन सरकार इसके लिए किसी तरह तैयार नहीं हो रही, बल्कि डानी शब्द के उच्चारण से ही विपती दिख रही है। विषय की मांग जवाब में सत्तारुढ़ भाजपा के ग राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए धन पर माफी की मांग करते हैं। राहुल गांधी ने माफी तो नहीं दी, इस बीच मानहानि मुकदमे में हैं सजा हुई और लोकसभा की दस्यता खत्म कर दी गई। कांग्रेस रोधियों के लिए बजट सत्र का बसे बड़ा हासिल शायद यही है। अब राहुल गांधी संसद में नहीं लेकिन उन्होंने जो सवाल वहाँ आए थे, वे अब भी अनुत्तरित संसद गलियारों में गूंज ही रहे हैं। सद के बाहर भी राहुल गांधी गंभग हर रोज सरकार से अडानी पर सवाल पूछ ही रहे हैं। कंतंत्र में यह बड़ी अजीब बात ग रही है कि सत्तारुढ़ दल एक ने मुद्दे पर मुंह सिले हुआ है, जिस बारे में जानना देश के लोगों का फ है। सरकार के इस अडियल ख के खिलाफ ही आज विपक्षी जो ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस के साथ द्रमुक, सपा, राजद, कांपा और वाम दल शामिल हुए। लेल्कार्जुन खड़गे ने इस मौके पर हा कि 12 मिनट में बिना चर्चा के लाख करोड़ रुपये का बजट स हो गया। अडानी की वजह से

का बचान म जुटा ह। यहां आरोप अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी लगाया। श्री खड़गे ने सरकार पर संसद की बर्बादी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र की बात बहुत करती है, लेकिन बात पर अमल नहीं करती। कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे ने जो बातें कही हैं वे केवल सियासी आरोप नहीं हैं, बल्कि उनमें जो फिक्र छिपी हुई है, उसे समझने की जरूरत है। लोकतंत्र की बात करना और उसे धरातल पर उतारना दो अलग—अलग बातें हैं। साल—दर—साल हम यही देखते आ रहे हैं कि लोकतंत्रिक अधिकारों की आवाज उठाने वालों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आम जनता से लेकर अब विपक्षी नेताओं को भी सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए सड़क पर आना पड़ा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसी बातें भी जुनले में तब्दील होती जा रही हैं, यह दुखद है। 17वीं लोकसभा का 11वां सत्र हंगामे से गुजरता हुआ अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष की चाय पीने से इन्कार कर दिया। संसद के एक दिन के कामकाज में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सोचने की बात है कि संसद टप्प होने के कारण कितने करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। जनता के धन और वक्त दोनों की बर्बादी हो रही है। लेकिन हम आजादी का अमश्त चखने में मग्न हैं।

राष्ट्र निर्माण में सनातना शिक्षा आर सरकृत महत्वपूर्ण



संस शिक्षा और ज्ञान न तो गहराइयां ही ही नापी नजा सकती है, और ना देखी इसकी ऊँचाई को देखा जा सकता है। पूर्वी सभ्यता जहां अध्यात्म, वेद पुराणों पर अवलंबित है, वर्ही पश्चिमी सभ्यता ज्ञान विज्ञान नए नए अविष्कार और आकाश की अनछुई कई बातों को उजागर करने वाली है। ऐसी शिक्षा तथा ज्ञान के कारण मानव प्रदंडमा पर पहुंच कर एक नई गाथा लेख पाया हैस वस्तुतः पूर्व तथा पश्चिम ज्ञान विज्ञान तथा शिक्षा के मामले में एकाकार हो चुका है कोई नहीं।

पूर्ण भावना निरापत्ता आपा हसा
पारे कई धर्मों में जिनमें जैन, बौद्ध
गीर्जा, नव्य वेदांत तथा भारतीय संस्कृ
के नवीन चिंतन के सामने आने से
युग की कल्पना को साकार किया
पश्चिम के कई विद्वान और चिंतक
नमें प्लूटो, अरस्टु, सुकरात, कार्ल
क्रेस, लेनिन ने अनेक विकास के
द्वारांतों को प्रतिपादित किया है।
सका पूरे विश्व ने खुले दिल से
गत किया एवं विकास की नई
की इबारत लिखी है, दूसरी ओर
रत की संस्कृति, सम्भ्यता और समाज
सदैव आवश्यक सुधार तथा नई
बुद्धिमता पूर्ण युक्तियों को अपने
आत्मसात करने की एक अलग
तता रही है, और विकास का मूल
भी परिवर्तनशील जीवनशैली ही
स राजनीति तो सदैव परिवर्तन पर
प्रलंबित रहती है।

तंत्राका पहले तथा बाद में
जनीतिक घटनाक्रम जिस नव
परिवर्तन युग की तरफ अग्रसर हुए हैं
अत्यंत उल्लेखनीय हैं भारतीय
यता समाज और संस्कृति जितनी
टेल तथा गूढ़ है उसको जितना
नझा जाए, उसका जितना अध्ययन
या जाए तो उससे नवीन बार्ते समझ
आती है, और उसके नए नए अर्थ
पारे सामने आते हैं, जिसका बहु
आमी उपयोग हम अपनी
वनशैली में परिवर्तन करने के
ए सदैव कर सकते हैं। स्वतंत्रता
वाद तो भावत देश के लाभ भाषा

अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी संकट में पड़े देश की मदद करना

सरकारा आर वित्तीय संस्थानों का दायित्व है। लेकिन यह मदद इस रूप में दी जाना चाहिए, जिससे मानव अधिकारों के लिए खतरा पैदा ना हो। वित्तीय संकट में फंसे किसी देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसी सख्त शर्तों पर ऋण देता है, वह पहले से काफी विवादाप्पाद रहा है। लेकिन आईएमएफ के इस रूख के खिलाफ अब तक सवाल आम तौर पर वामपंथी संगठन उठाते थे। यह संभवतः पहला मौका है, जब तो पश्चिमी मानव अधिकार संगठनों ने इसे मुद्दा बनाया है। पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल श्रीलंका पर लगी गई आईएमएफ की शर्तों पर चिंता जताई और उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी श्रीलंका में आईएमएफ के आर्थिक सुधार कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि नीतियां ऐसी अपनाई जानी चाहिए, जिनसे श्रीलंका में आम जन के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का और क्षरण ना हो। इसके पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि आईएमएफ की शर्तों को लेकर वह इस अंतरराष्ट्रीय संस्था के अधिकारियों से बातचीत करेगा और उन्हें अपनी चिंता बताएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने श्रीलंका आईएमएफ एक ऋण से अधिकारों के क्षरण का खतराच शीर्षक के साथ एक ब्यान जारी किया। ब्यान में कहा गया है— सरकारी भ्रष्टाचार और टैक्स नियमों से धनी लोगों को लाभ हुआ, जो श्रीलंका के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण है। इस कारण श्रीलंका के लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्हीं लोगों पर और बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। व्यविशेषज्ञों के बीच भी आम राय यही है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट दशकों तक अपनाई गई गैर-जिम्मेदाराना मौद्रिक नीति, सभिंडी के गलत इस्तेमाल और कुशासन का परिणाम है। इसकी सबसे अधिक मार आम जन पर पड़ी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आईएमएफ की शर्तों की मार भी उन्हीं लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी संकट में पड़े देश की मदद करना सरकारों और वित्तीय संस्थानों का दायित्व है। लेकिन यह मदद इस रूप में दी जाना चाहिए, जिससे मानव अधिकारों के लिए खतरा पैदा ना हो। स्पष्टतरू मानव अधिकार संगठनों की इस पहल का स्वागत किया जाएगा। जरूरत ऐसे कथित आर्थिक सुधारों का असली चेहरा सामने लाने की है, जो आम जन की कीमत पर समर्ट वर्गों के हित साधती है।



